

फारम - 2

जियम 18(1) द्रष्टव्य

जारी किया गया

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र

नं. 359

दिनांक 17.6.2015

साई निवाला कंस्ट्रक्शन

मैकान नं-38 गिलांचन कोठी,

पानी टंकी, पिरकामोड, रांची - 05

भारतखण्ड सरकार, रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी का कार्यालय, रांची।

ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 7 की उपधारा (2) और तदर्थिन बनी नियमावली के अधीन इसके द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र 20 (बी) नामगारों के नियोजन के लिए मंजूर किया जाता है।

(क) स्थापना में किये जानेवाले कार्य का स्वरूप :- निर्माण कार्य

(ख) स्थापना में किये जानेवाले :-

ठेकेदारों के नाम एवं पता

कार्य का स्वरूप जिसमें ठेका मजदूर नियोजित हैं या नियोजित किये जायेंगे।

होकर ठेकेदारों के माध्यम से किसी भी दिन नियोजित किये जानेवाले ठेका मजदूर की अधिकतम संख्या।

ठेका मजदूरी नियोजन के संबंध में अन्य व्यौरों।

1.

2.

3.

4.

आवश्यकता पड़ना

निर्माण कार्य



रजिस्ट्रीकर्ता पदाधिकारी
ठेका मजदूर (वि० एवं उ०) अधिनियम 1970
हरतारिखी एवं मुहर